न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3222–एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–6–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 160/13–14/अपील.

1– गोवर्धन पिता स्व. सरदारसिंह राजपूत
2– कमल पिता स्व. सरदारसिंह राजपूत
निवासीगण टिमरिया सांचा
तहसील व जिला देवास .....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन .....अनावेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजीव गौतम, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/8/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कमांक 1 गोवर्धन द्वारा तहसीलदार, देवास के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम टिमरिया सांचा तहसील व जिला देवास स्थित भूमि सर्वे कमांक 626 रकबा 0.88 हेक्टेयर अमरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी । उक्त भूमि का सर्वे

नम्बर परिवर्तित होकर 320 रकबा 0.82 हेक्टेयर होकर चरनोई मद में त्रुटिवश दर्ज हो गई है । चूंकि अमरसिंह की मृत्यु हो चुकी है, और उसके वारिसान आवेदकगण गोवर्धन व कमल है, अतः उनका वारिसाना नामांतरण प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 04/अ–6–अ/12–13 दर्ज कर दिनांक 12–3–13 को आदेश पारित किया जाकर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, देवास के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–12–13 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20–6–2014 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के पूर्वजों की भूमि होकर उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज था, परन्तु त्रुटिवश प्रश्नाधीन भूमि शासकीय चरनोई दर्ज कर दी गई है, अतः आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत त्रुटि सुधार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण की ओर से वर्ष 1938–39 के बी–1 की नकल प्रस्तुत की गई थी, जिसमें प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदककगण के दादा का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है, और जिस समय मध्य भारत का निर्माण हुआ, उस समय आवेदकगण के दादा को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गया था । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण के दादा प्रश्नाधीन भूमि के शिकमी कब्जेदार था, और म0प्र0 भू–राजस्व संहिता लागू होने पर उन्हें भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये । उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व रिकार्ड में आवेदकगण के दादा का नाम निर्वाद रूप से दर्ज रहा, और वर्ष 1970–71 में चकबन्दी के दौरान त्रुटिवश भूमि शासकीय चरनाई दर्ज हो गई एवं वर्ष 1970–71 के पश्चात आज दिनांक तक प्रश्नाधीन भूमि पर अन्य व्यक्ति अथवा शासन का

नाम भूमिस्वामी के खाना में अंकित नहीं होने से भी आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि पर अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं, इस स्थिति पर भी तहसील न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है, इसलिए तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि होकर चरनोई भूमि है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, और तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेखों में शासकीय दर्ज रही है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी इसी निष्कर्ष के साथ अपीलें निरस्त की गई हैं । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–6–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर